संख्या-139/2024/आई/522114/23-1-24/23-1002(002)/61/2024

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 16 मार्च, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत 17 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद लखनऊ में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत 17 कार्यों हेतु कुल लागत रू0 12,65,18,000/- (रूपये बारह करोड़ पैंसठ लाख अठ्ठारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत कुल **रू0 7,59,10,000/- (रूपये सात करोड़ उनसठ लाख दस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद	मार्ग की श्रेणी	कार्य का नाम	मार्ग की कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	हनुमान मंदिर के पीछे से अन्जना शाहू के अस्पताल तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	0.70	65.40	39.24
2	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	गीतापल्ली मजार से लेकर कैलाशपुरी सब्जी मण्डी की ओर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	1.12	44.77	26.86
3	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	नहर भौलाखेड़ा से कैम्ब्रिज विद्यालय की ओर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	0.53	49.83	29.90
4	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	मोहल्ला पवनपुरी से आकांक्षा मेडिकल स्टोर होते हुए सूजनपुरा कानपुर रोड मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	1.16	69.64	41.78
5	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	विद्यासागर गुप्ता जी की कोठी से काली जी मंन्दिर की ओर जनक रानी मार्ग तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	0.50	55.15	33.09
6	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	ओशो नगर में देशराज सिंह के मकान से राकेशवर प्रसाद के मकान की ओर मार्ग की विशेष मरम्मत का	0.50	52.73	31.64

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद	मार्ग की श्रेणी	कार्य का नाम	मार्ग की कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
				कार्य			
7	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	तिरसा कालोनी में पप्पू पाण्डेय के मकान से शैलेन्द्र सिंह के मकान की ओर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	0.51	48.04	28.82
8	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	मधुबन नगर में राजेश सिंह के मकान से टाटम्बरी आश्रम से होते हुए सी0पी0 अवस्थी के मकान से निर्मल श्रीवास्तव के मकान से गीता सोनी के मकान तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	0.80	90.04	54.02
9	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	शीतलापुरम में चन्द्रभान सिंह के मकान से उत्सव मैरिज हाल होते हुए अखण्ड प्रताप सिंह, एडवोकेट मकान होते हुए कृष्णा पब्लिक स्कूल तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	1.64	146.84	88.10
10	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	राजाजीपुरम में बाबा की बगिया से बिस्मिल पार्क होते हुए घण्टेश्वर मन्दिर से सेठी क्लीनिक की ओर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.75	83.38	50.03
11	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	सोनापुरम रेलवे क्रासिंग से राजकुमार चिल्ड्रन एकेडमी तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	1.10	56.33	33.80
12	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	राम बिहार कालोनी में श्री अनिल मौर्या के घर से संजीव सिंह के मकान होते हुए एवं बाबू लाल के मकान होते हुए पुष्कर सिंह के मकान तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.80	44.56	26.74
13	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	एम0टी0 नेशनल स्कूल से नयनतारा नगर तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.55	59.12	35.47
14	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	म्यूर रेजीडेन्सी विस्तार मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	1.20	139.17	83.50
15	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	जनपद लखनऊ में राजाजीपुरम क्षेत्र में स्थित बी ब्लाक मुख्य मार्ग रॉयल कासा गेस्ट हाउस से लेकर बी ब्लाक पुलिया होते हुए बरनवाल जी के मकान तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.80	78.42	47.05
16	4049सी0/352सी-लखनऊ भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	प्रा.ख. लखनऊ	City Road	एल0जी0 गोदाम से आगे अन्ना मार्केट होते हुए डुडौली मन्दिर तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	1.45	95.08	57.05
17	4049सी0/352सी-लखनऊ	प्रा.ख.	City	विकास खरण्ड-2 गोमती नगर में	1.15	86.68	52.01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद	मार्ग की श्रेणी	कार्य का नाम	मार्ग की कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	भाग-24/23-24, दिनांक 13.03.2024	लखनऊ	Road	मेगा शॉप से होते हुए मेयो अस्पताल तक एवं पार्क के चारो ओर व विकास खण्ड के सामने कार्नर के मकान तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।			
					कुल योग-	1265.18	759.10

(1) प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(5) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(7) यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(8) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(9) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त मार्गों का लोक निर्माण विभाग में हस्तांतरण के उपरान्त ही मार्ग निर्माण की कार्यवाही की जाये ।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 व अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 7,59,10,000/- (रूपये सात करोड़ उनसठ लाख दस हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-0301-प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य-29-अनुरक्षण" के मद में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के निवर्तन पर रखी गयी रू0 3000.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं शासनादेश सं0-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-139/2024/आई/522114 (1)/23-1-24/23-1002(002)/61/2024-, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/लोक निर्माण अनुभाग-6/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in